राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 368/2020

सुरेश कुमार नोनिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.02.2020
आदेश की दिनांक : 06.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.12.2012 (अनुलग्नक–1) द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्री) के पद पर नियुक्त किया गया था और उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 12.12.2012 को कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से है। अपीलार्थी की सेवा शर्तें राजस्थान इंजीनियर्स सेवा (भवन एवं सड़क शाखा) नियम, 1954 (इसके बाद संक्षेप में 1954 के नियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत शासित होती हैं। कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत के पद से अगली पदोन्नति सहायक अभियन्ता विद्युत के कैडर में होती है। सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत (डिग्रीधारी) के पद पर डिग्रीधारी तीन साल का अनुभव और कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत (डिप्लोमाधारी) को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर दस साल का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2015–16 के लिए सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद हेतु डीपीसी आयोजित की और उक्त डीपीसी में वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक अभियन्ता डिग्रीधारी के 10 पद और सहायक अभियन्ता डिप्लोमाधारी के 4 पद उपलब्ध थे। डिग्रीधारी सहायक अभियन्ता के 10 पदों में से 6 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और 2 पद एससी और 2 पद एसटी वर्ग के लिए थे परन्तु डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता का कोई भी पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन 10 पदों को आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को

प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा वर्ष 2017–18 की रिक्ति के विरुद्ध डिग्री धारक सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति का पात्र था। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को दिनांक 05.10.2018 (अनुलग्नक–4) द्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 16.03.2019 एवं 03.04.2019 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसे दिनांक 01.04.2015 या 01.04.2016 को सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई (अनुलग्नक–5 एवं 6)। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 14.08.2019 (अनुलग्नक–7) द्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत) के कैडर में अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरुद्ध पदोन्नत दिखाया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर अपनी पदोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए 21.12.2019 (अनुलग्नक–8) द्वारा पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 के बजाय 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्री) के पद से सहायक अभियन्ता (विद्युत) (डिग्री) के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग को प्रकरण में बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रत्यर्थी विभाग का जवाब बन्द किया जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी जो कि कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद पर कार्यरत है, की सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्री) के पद पर दिनांक 03.12.2012 को प्रथम नियुक्ति हुई। वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ता (डिग्री) के 10 पद रिक्त थे। परन्तु डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता का कोई भी पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन 10 पदों को आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जाना पाया जाता है।

अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के दृष्टिगत अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर यदि अपीलार्थी वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर विचारण सूची में आने से नियमानुसार पदोन्नति हेतु पात्र पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार किया जाकर वर्ष 2016–17 की रिक्तियो के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य